

**“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023**

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर.....दीगोद

(शिविर स्थान.....कोटा खुता.....)

आदेश

दिनांक 27/4/23

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी.....खुतावला.....

...व भू.अ.नि.....नीमोदा.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार.....दीगोद.....

नायब तहसीलदार.....की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम.....खुतावला.....तहसील.....दीगोद.....व

जिला.....कोटा.....की जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 में खाता संख्या.....9.....

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>खुतावला</u>	<del>14</del> 9	<u>अस्मिता</u> पुत्री	<u>स्मिता</u> पुत्री
2	<u>अतशिलना</u>	14	<u>रेषमराज</u> प्लाकड <del>सा 58</del>	<u>रेषमराज</u> प्लाकड सा 58

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

क्रमांक :- 08  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 27-4-23

1. तहसीलदार.....दीगोद.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....स्मिता.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर  
दीगोद, जिला कोटा (राज.)